केन्द्रीय विद्यालय,सुरदा

KENDRIYA VIDYALAYA SURDA

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

पता+पो- सुरदा,घाटशिला At+P.O–Surda,Ghatsila

जिला-पूर्वी सिंहभूम,झारखंड Dist.-East Singhbhum,Jharkhand

पिन/PIN -832303 दूरभाष/Ph.(06585-295511)

वैबसाइट/website- https://surda.kvs.ac.in/

KV Code – 1191,Stn Code – 123 CBSE School No.69512,CBSE Affiliation No.3400026

फ.1191/के.वि-सुरदा/2024-25/660

दिनांक: 07/09/2024

ईमेल

सेवा में,

उपायुक्त महोदय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची संभाग

विषयः केंद्रीय विद्यालय में छात्रों की सुरक्षा हेतु विभिन्न निर्धारित मापदण्डों का पालन करने के संबंध में। Ref.: F.40029/के.वि.सं/क्षे. कार्या/ (राँची)/NDMA/2024/10658-95

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में केन्द्रीय विद्यालय संगठन क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्र F.40029/के.वि. सं/क्षे. कार्या/ (राँची)/NDMA/2024/10658-95 के क्रम में सूचित किया जाता है कि विद्यार्थियों कि सुरक्षा से संबन्धित उपाय करने हेतु निर्देशों का अक्षरसः पालन करते हुए निम्नलिखित अनुपालन रिपोर्ट प्रेषित किया जा रहा है।

निर्देश	अनुपालन
1. विद्यालय के सभी स्थानो पर सीसीटीवी निगरानी प्रणाली स्थापित करें और सुनिश्चित करें की वे सभी काम करने की स्थिति में है और इसकी नियमित निगरानी प्रणाली विकसित की जानी है।	विद्यालय में CCTV निगरानी प्रणाली स्थापित है।
2. सविदा शिक्षकों, प्रशिक्षको, सुरक्षा, वाच एण्ड वार्ड, कंजर्वेटिव स्टाफ सहित संविदा/आउटसोर्स पर लगे कर्मचारियों के संबंध मे पुलिस सत्यापन किया जाना है। आगंतुक रजिस्टर विद्यालय के प्रवेश द्वार पर उपलब्ध होना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए की किसी भी अधिकृत व्यक्ति को विद्यालय के परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।	सत्यापन किया गया है तथा आगंतुक रजिस्टर विद्यालय के प्रवेश द्वार पर उपलब्ध है।

3. छात्रों की सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने और अभिभावकों से नियमित प्रतिपुष्टी (Feedback) लेने के लिए अभिभावक, शिक्षक, छात्र समिति का गठन किया जाना चाहिए।	अभिभावक, शिक्षक, छात्र समिति का गठन किया गया है, तथा अभिभावक से समय-समय पर फीडबैक लिया जाता है।
4. आपातकालीन निकास के प्रावधान के साथ विद्यालय की दीवार दोहरी बाड़ के साथ अनुमेय ऊंचाई तक की होनी चाहिए।	विद्यालय की दीवार अनुमेय ऊंचाई तक है।
5. किसी भी हानिकारक दुर्घटना से बचाव हेतु विद्यालय के परिसर से सभी आपतिजनक सामग्री को हटाना अपेक्षित है।	विद्यालय परिसर में आपतिजनक सामग्री नहीं है।
6. पीने के पानी की आपूर्ति करने वाले टैंक को हर महीने साफ किया जाए और उस पर पिछली सफाई की तारीख लिखी जाए और अगली नियत तारीख भी उस पर लिखी जाए। पीने के पानी की शुद्धता और स्कूल में साफ सफाई की स्थिति की जांच जैसे अन्य उपाय भी राज्य सरकार के जन स्वास्थ्य यान्त्रिकी विभाग से करवाए जाए और यह सुनिश्चित किया जाए की पानी पीने के लिए सुरक्षित हो। सभी विद्यार्थियों को उचित संख्या में RO प्लांट उपलब्ध कराया जाए और सुरक्षित पेयजल का प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया जाए।	पीने के पानी की आपूर्ति करने वाले टैंक कि सफाई नियमित किया जाता है तथा RO प्लांट का मरम्मत भी समय-समय पर किया जाता है।
7. प्रत्येक शौचालय को कम से कम तीन बार साफ किया जाना चाहिए अर्थात स्कूल के समय के बाद, सुबह शुरू होने से पहले और अवकाश के बाद ब्रश और फिनाइल से ताकि शौचालय और टाइलों पर गंदे धब्बे या बदबूदार गंध या पानी का ठहराव न हो, इसके अलावा साबुन या पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। हाथ धोने वाला हँड वाश सुनिश्चित किया जाना चाहिए। प्राथमिक/माध्यमिक के लिए बालक-बालिकाओं, शारीरिक रूप से विकलांग बालक-बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय हाना चाहिए। जिसकी नियमित सफाई हेतु कार्मिक तैनात हो। शौचालय की सफाई के लिए बहते पानी की सुविधा जरूरी। यदि बहता पानी उपलब्ध नहीं है	प्रत्येक शौचालय प्रतिदिन तीन बार साफ किया जाता है। प्रत्येक शौचालय में साबुन और हैण्ड वाश कि व्यवस्था कि गयी है। विकलांग बालक-बालिकाओं के लिए अलग शौचालय है।

तो पानी के भंडारण की वैकल्पिक विधि को पानी की टंकियों के माध्यम से ले जाया जा सुनिश्चित किया जाना चाहिए।	
8. स्कूल में पर्याप्त आपातकालीन निकास होना चाहिए- SOP दिशानिर्देशों का पालन करें।	पर्याप्त आपातकालीन निकास उपलब्ध है।
9. स्कूल में अग्निशामक यंत्र, पानी और रेत की पर्याप्त आपूर्ति जैसे आपातकालीन उपकरण होने चाहिए कृपया अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र के SOP दिशानिर्देश का अवलोकन करें।	विद्यालय में अग्निशामक यंत्र उपलब्ध है। विद्यालय अस्थायी भवन में संचालित होने के कारण अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र बनने कि प्रक्रिया में विलम्ब हो रहा है। प्रक्रियाधीन है।
10. भवन सरचनात्मक लेखा परीक्षा (बिल्डिंग स्ट्रक्चरल ऑडिट) सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जानी चाहिए और इस आशय क सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए।	प्रक्रियाधीन है।
11. सभी शिक्षको को बच्चो को मौखिक, मानसिक और शारीरिक शोषण के बारे में जागरूक किया जाना है क्योकि इससे छात्रों के दिमाग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और वे बोलने में असमर्थ हो जाते है और अंततः स्कूल में उत्साह खो देते हैं।	इस संबंध में समय-समय पर परिचर्चा कि जाती है।
12. फस्ट एड बॉक्स सभी आवश्यक वस्तुओं के साथ प्रत्येक स्कूल में उपलब्ध होने चाहिए और नियमित रूप से रख-रखाव किया जाना चाहिए और उचित अभिरक्षा (कस्टडी) में चिकित्सा कक्ष में रखी जानी चाहिए।	विद्यालय में फर्स्ट एड बॉक्स उपलब्ध है तथा उसका रख-रखाव नियमित रूप से होता है।
13. विद्यालय में अग्निशामक यत्रों की स्थिति की वास्तविक जांच करने के लिए समय समय पर MOCK DRILL किया जाना सुनिश्ति करें साथ	MOCK DRILL कि प्रक्रिया के लिए सम्बंधित विभाग को सूचित किया गया है, दिनांक 13/09/2024 को संभावित है।

ही अन्य विषयों पर भी MOCK DRILL किया जाना अपेक्षित हैं।	

07.09.2024

भूतनाथ पात्रा

कार्यवाहक प्राचार्य

प्राचार्य / PRINCIPAL
केन्द्रीय विद्यालय/KENDRIYA VIDYALAYA
सुरदा / SURDA